न्यायालय-अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न, प्रकरण् संख्या 2 कोटा

पीठासीन अधिकारी - अरूण गोदारा, आर.जे.एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी संख्या- (सी.आई.एस.) 112/2022
(CNR NO. RJKT09-0-2022)

1- अपूर्व श्रृंगी पुत्र स्व. अश्वनी जी श्रृंगी, आयु 32 वर्ष, जाति ब्राह्मण,
2- रूद्राक्ष श्रृंगी पुत्र स्व. अश्वनी जी श्रृंगी, आयु 28 वर्ष, जाति ब्राह्मण,
निवासीगण मकान नं. 123, कृष्णा निवास इन्द्रा मार्केट, बृजराजपुरा, कोटा (राज.) -निगराकारान

बनाम

1- सरकार जरिये, लोक अभियोजक, कोटा
2- राकेश श्रृंगी पुत्र स्व. गोविन्द लाल श्रृंगी, उम्र 44 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नं. 123, कृष्णा निवास, इन्द्रा मार्केट, बृजराजपुरा, कोटा
-गैर निगराकारान

निगरानी अन्तर्गत धारा 397 दण्ड प्रकिया संहिता, बनाराजगी आदेश दिनांक 07-10-2020 न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा मुकदमा दांडिक प्र.सं. 2084/20 द्वारा पुलिस थाना मकबरा, कोटा अंतर्गत धारा 107, 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित किया गया

उपस्थितः-

1- श्री महेश शर्मा, , अधिवक्ता, निगराकारान की ओर से।
2- अपर लोक अभियोजक, गैर निगराकार सं० 1 की ओर से।
3- श्री मनोज चाचोदिया, गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से।

आदेश **दिनांक 17.08.2022**

निगराकारान/गैर सायलान अपूर्व श्रृंगी एवं रूद्राक्ष श्रृंगी ने यह निगरानी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा मुकदमा दांडिक प्र.सं. 2084/20 द्वारा पुलिस थाना मकबरा, कोटा अंतर्गत धारा 107, 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित किया गया आदेश दिनांक 07-10-2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

इस निगरानी के निस्तारण हेतु प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना मकबरा की ओर से गैरसायलान के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा-107, 116(3) दं०प्र०सं० न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर) कोटा के समक्ष

इस आशय का पेश किया कि फरियादी राकेश श्रृंगी पुत्र स्व. गोविन्द लाल श्रृंगी का पैतृक मकान नं.123, कृष्णा निवास इन्द्रा मार्केट, कोटा में स्थित है जिसमें वह अपनी पत्नी व दो नाबालिग बच्चों के साथ निवास करता है। इसी मकान में प्रार्थी का एक मानसिक विमंदित भाई रमेशचंद, जो अविवाहित है एवं मृतक भाई अश्वनी की बेवा सावित्री अपने दो अविवाहित पुत्रों अपूर्व व रूद्राक्ष के साथ निवास करती है। रूद्राक्ष का पूर्व पत्नी से अनैतिक आचरण के चलते तलाक हो चुका है तथा वह किसी महिला के साथ निवास कर रहा है। प्रारम्भ से ही सावित्री प्रार्थी के माता-पिता की सम्पूर्ण चल-अल सम्पत्ति हड़प करना चाहती है, इस कारण उसके द्वारा अपने दोनों पुत्रों की सहायता से प्रार्थी के विरूद्ध निरंतर षड़यंत्र कर पैतृक मकान से बेदखल करने का प्रयास किया जाता रहा है और इसी क्रम में प्रार्थी की माता को प्रभाव में लेकर बिना असल तथ्य बताये एक वसीयत भी पंजीकृत करवाई, जिसकी सूचन प्रार्थी की माता को मिलने पर उसके द्वारा उस वसीयत को दिनांक 22.03.15 को ही रूबरू गवाहान निरस्त कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दी गई। प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन का प्रयास होने से एक दीवानी वाद न्यायालय एडीजे नं.1, कोटा में प्रस्तुत किया, जिसमें समस्त परिजनों को पक्षकार बनाया हुआ है और उसमें पारित स्थगन आदेश दिनांक 09.02.17 की सूचना सभी को है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त वाद विचारण के दौरान ही प्रार्थी की माता श्रीमती कृष्णा कुमारी व भाई अश्वनी का निधन हो गया और सावित्री व उसके दोनों पुत्र पक्षकार बन चुके थे, परन्तु उसके बावजूद भी लॉक डाउन का फायदा उठाकर उनके द्वारा प्रार्थी के मृतक माता पिता के हिस्से, जिस पर प्रार्थी व उसके सभी बहिन भाईयों का संयुक्त कब्जा था, जिनकी मृत्यु के पश्चात उक्त हिस्सा संयुक्त था, जबकि सावित्री व उसकी संतानों का पैतृक सम्पत्ति में सिर्फ 1/5 भाग ही निहित है, इसकी जानकारी होने के बावजूद भी सावित्री द्वारा स्वयं को एकल उत्तराधिकारी घोषित कर अपने दोनों पुत्रों व उनकी पत्नियों की सहायता से कब्जा करने के प्रयास में मौके

की स्थिति में परिवर्तन करते हुए बावजूद स्थगन आदेश दिनांक 09.02.17 ताले खोल लिए एवं उनमें रखे सामानों को हटाकर स्वयं के सामान रख दिए तथा आपत्ति करने पर आए दिन लड़ाई-झगड़ा व मारपीट करने पर आमादा हैं एवं उक्त पैतृक सम्पत्ती के उपयोग-उपभोग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इस कारण से उनका शांतिपूर्ण जीवन दुष्कर हो रहा है तथा गम्भीर वारदात की आशंका बनी हुई है। आज प्रातःकाल भी सावित्री द्वारा उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौच करते हुए प्रथम तल पर रखी टेबल को पटका व पुनः धमकी दी कि वह प्रार्थी को उसके परिवार सहित मकान से निकालकर सम्पूर्ण मकान पर कब्जा कर लेगी तथा अपने पुत्रों की सहायता से उन्हें मरवा देगी या बहुओ की मदद से महिला सम्बन्धी झूठे प्रकरण में फंसा देगी। अतः सावित्री, अपूर्व व रूद्राक्ष तथा उनकी पत्नियों, जिनके नाम नहीं पता, को तलब कर उन्हें दण्डित किया जाए, इत्यादि।

उक्त इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विचारण न्यायालय द्वारा गैरनिगराकारान को परिशांति भंग होने की सम्भावना को देखते हुए नोटिस इस आशय के जारी करने के आदेश दिनांक 07.10.20 को दिए गए कि क्यों ना उन्हें परिशांति बनाये रखने के लिए पांच-पांच हजार रुपये के जमानत मुचलकें से छह माह की अवधि के लिए पाबन्द किया जाए। उक्त आदेश से व्यथित होकर निगराकारान की ओर से यह निगरानी पेश की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारान ने अपनी बहस के दौरान यह कथन किये कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 07-10-2020 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। क्योंकि उक्त आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का अनुसरण करते हुए आदेश में सूचना का सार वर्णित नहीं किया गया है। फलस्वरूप उन्होंने आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैंः-

1- ए.आई.आर. 1967 दिल्ली पेज नं. 31, बलराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,

इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि धारा 112 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश पारित किये जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रार्थीगण के मामले में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था।

2- ए.आई.आर. 1969 दिल्ली पेज नं. 304, बनारसीलाल बनाम नीलम,

3- 1973 डीएलटी (9) पेज नं. 422, रघुवंश कुमार बनाम मदनलाल शर्मा,

4- ए.आई.आर. 1971 (एस.सी.) पेज 2486 मधु लिमाय बनाम एस.डी.एम. मोंगयर

5- आर.सी.सी. 1977 पेज 66 मांगीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मधु लिमाय बनाम एस.डी.एम. मोंगयर के न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि अप्रार्थी को तलब किये जाने से पूर्व आदेश तथा नोटिस में सुचना का सार वर्णित किया जाना चाहिए, जैसा नहीं करने पर आदेश को अपास्त किया गया है।

6- 1991 सीआर.एल.जे. पेज 786 बाबूलाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश,

7- 2014 (2) आर.सी.सी.(राज.) पेज 562 विरेन्द्र जेम्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान,

इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि जब अप्रार्थी को धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किया गया था जिसमें सूचना का सार वर्णित नहीं किया गया था तो ऐसी स्थिति में आदेश को अपास्त किया गया है।

इसके विपरीत विशिष्ठ लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान निगरानी को सारहीन होना बताया एवं खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया है कि निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका समय अवधि बाधित है तथा उक्त निगरानी याचिका अन्तरवर्ती आदेश से संबंधित है। अतः उन्होंने आदेश को अन्तरवर्ती आदेश बताते हुए चलने योग्य नही होना बताया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार सं० 2 ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैंः-

1- एस.बी.क्रिमिनल मिस. (पिटीशन) नं. 6261/17 संतोष बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05-02-2018 व

2- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिस.पिटीशन नं. 742/2010 डॉ. मनोज कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 03-10-2013।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डॉ. मनोज कुमार तिवारी बनाम राज. उच्च न्यायालय में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि निगरानी न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के प्रथम आदेश को 06 माह की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत परिवाद मिठया बनाम राजस्थान राज्य आरसीसी 1987 पेज 215 की पालना में खारिज किया है, जो न्यायोचित है।

सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम निगराकारान की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के

न्यायालय में दिनांक 05-12-2020 को पेश किया जाना प्रकट होता है। जबकि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 07.10.2020 का है। निगराकारान ने अपने प्रार्थना-पत्र में उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 05.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर होना एवं तत्पश्चात आदेश की नकल लेने हेतु दिनांक 06.11.2020 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसकी नकल दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त होना बताया है और इस आधार पर उसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने तथा नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से नकल मिलने की दिनांक की अवधि कन्डोन की जाकर निगरानी अवधि मध्य माने जाने का निवेदन किया है। निगराकारान द्वारा प्रस्तुत कारण सद्भाविक प्रतीत होते हैं और निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

पत्रावली के परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा शहर को थानाधिकारी, पुलिस थाना मकबरा, कोटा से एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) दं.प्र.सं. इस आशय का प्राप्त हुआ था कि निगराकारान प्रार्थी राकेश व उसकी पत्नी के साथ कई बार मारपीट कर चुके हैं व अभद्र व्यवहार व गाली-गलौच करते रहते हैं तथा झूठे मुकदमों में फंसाने को धमकाते हैं, जिस बाबत जांच करने पर अपूर्व श्रृंगी व रूद्राक्ष श्रृंगी को भारी जमानत मुचलको से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त इस्तगासा पर विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि-"उपरोक्त अंकित थानाधिकारी द्वारा अंकित गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 107,116(3) दं.प्र.सं. के तहत इस्तगासा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। इस्तगासे का मेरे द्वारा भलीभांति अवलोकन किया गया एवं इस्तगासे के प्रस्तुतकर्ता को सुना गया। प्रकरण दर्ज

रजिस्टर किया गया। इस्तगासे के अवलोकन से मुझे यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया गैरसायल से परिशांति भंग होने की सम्भावना है। अतः क्यों नहीं परिशांति बनाए रखते हुए राशि रूपए पांच हजार की जमानत एवं पांच हजार के मुचलके पर छह माह की अवधि के लिए गैरसायल को पाबन्द किया जाए। गैरसायल को अन्तर्गत धारा 113 दं.प्र.सं. के तहत नोटिस जारी कर तलब किया जाए।"

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत एसबी क्रिमिनल रेफ्रेन्स नं.10/1975 मांगीलाल व अन्य/राज.राज्य में पारित निर्णय दिनांक 12 नवम्बर 1976 में मधुलिमाए व अन्य/एस.डी.एम., मोंघिर, एआईआर 1971 एससी, पेज 2486 के प्रकाश में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि-"विचारण न्यायालय के आदेश का परिशीलन करने मात्र से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा मांगीलाल व अन्य के विरूद्ध किस आधार पर प्रकरण की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए उचित आधार पाए गए हैं। यह विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में लेखबद्ध नहीं किया गया है एवं इस प्रकार का लोप किए जाने के कारण निगराकारान को यह उचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है कि वे उक्त नोटिस का जवाब दे सके। निगराकारान को जारीशुदा नोटिस में एसडीएम न्यायालय द्वारा सूचना का सार वर्णित नहीं किए जाने से ऐसे पक्षकारान के विरूद्ध पक्षपात हुआ है, क्योंकि वे न्यायालय में उपस्थित आकर यह प्रकट नहीं कर सकते कि उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों ना की जाए।" न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि धारा 112 दं.प्र.सं. के प्रावधानों की पालना नोटिस जारी किए जाते समय करनी चाहिए एवं किसी भी पक्षकार के अधिकारों को कम करने का कोई अधिकार विचारण न्यायालय के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब अपने आदेश व नोटिस में एसडीएम न्यायालय ने सूचना का सार वर्णित नहीं किया है तो विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए विचारण

न्यायालय को यह अधिकारिता दी गई है कि यदि जिन पक्षकारान के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, यदि वे शांति भंग करते हैं या अन्य कोई गलत कार्य करते हैं तो एसडीएम न्यायालय ऐसे पक्षकारों के विरूद्ध पुनः कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में पत्रावली का परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2020 में सूचना का सार वर्णित नहीं किया है, जिससे निगराकारान इस अवसर से वंचित हो गए हैं कि वे न्यायालय में उपस्थित आते समय अपना जवाब प्रस्तुत कर सके एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में यह प्रकट होता है कि सूचना का सार आदेश या नोटिस में वर्णित नहीं किए जाने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि सम्मत नहीं है, जिसे अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय के विनम्र मत में उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 07.10.2020 पत्रावली का गुणावगुण पर परिशीलन करने से पुष्ट किये जाने योग्य नहीं है तथा निगराकारान की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फलस्वरूप निगराकारान अपूर्व श्रृंगी एवं रूद्राक्ष श्रृंगी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा शहर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2020 अपास्त किया जाता है। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत एसबी क्रिमिनल रेफ्रेन्स नं.10/1975 मांगीलाल व अन्य/राज.राज्य में पारित निर्णय दिनांक 12 नवम्बर 1976 के प्रकाश में यह भी आदेश दिया जाता है कि यदि निगराकारान-गैरसायल द्वारा पुनः उक्त कृत्य किया जाता है तो सक्षम

प्राधिकारी/संस्था नियमानुसार पुनः कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेंगे। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलंब लौटायी जावे।

(अरूण गोदारा)
पीठासीन अधिकारी
अतिरिक्त सेशन न्यायालय,
महिला उत्पीड़न प्रकरण सं0-2, कोटा

आदेश आज दिनांक 17.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण गोदारा)
पीठासीन अधिकारी
अतिरिक्त सेशन न्यायालय,
महिला उत्पीड़न प्रकरण सं0-2, कोटा